भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 146
28 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

iFk foØsrk

***146- izksñ vP;qrkuan lkear%**

D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj ds ikl ns'k esa iFk foØsrkvksa dh dqy la[;k ls lacaf/kr dksbZ vkadM+s fo|eku gSa vkSj ;fn gka] rks jkT;@la?k jkT;{ks=&okj rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼[k½ D;k iFk foØsrk ¼thfodk laj{k.k vkSj iFk foØ; fofu;eu½ vf/kfu;e] 2014 ds varxZr lHkh jkT; ljdkjksa us lQyrkiwoZd fu;e cuk;s vkSj dk;kZfUor fd;s gSa] ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa(

¼x½ bl vf/kfu;e ds dk;kZUo;u ds mijkUr iFk foØsrkvksa dks D;k ykHk gq, gSa(vkSj

¼?k½ ns'k esa iFk foØsrkvksa ds vf/kdkjksa dk laj{k.k djus gsrq ljdkj }kjk D;k dne mBk;s x;s gSa@mBk;s tk jgs gSa\

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

****

<u>विवरण</u>

“पथ विक्रेताओं”a □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ **28.11.2019** □□ □□□ **लोक** □□□ □□□□□□□□□ **प्रश्न संख्या *146** □□ **भाग (क) से (घ) के** □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□

*****

(क): पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 का कार्यान्वयन नियम और स्कीम बनाकर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, नगर विक्रय समिति स्कीम में यथा निर्धारित ऐसी अवधि के भीतर एवं ऐसे ढंग से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के भीतर मौजूदा सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगी और इसके बाद प्रत्येक पांच वर्षों में कम से कम एक बार सर्वेक्षण कराया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक पहचान किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या 11,56,460 है।

(ख) तथा (ग): अधिनियम का उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, पथ-विक्रय संबंधी गतिविधियों और उनसे संबंधित अथवा उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करना है। उक्त अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है, जिनके लिए इस अधिनियम को विस्तारित किया जाना है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। मेघालय ने मेघालय पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, तेलगांना ने अधिसूचना के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है।

(घ): इस अधिनियम में पथ विक्रेताओं, जो अपने विक्रय प्रमाण-पत्र की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पथ-विक्रय संबंधी कार्य करते हैं, का पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से रोकथाम से संबंधित उपबंध शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों को पथ विक्रेताओं की बेदखली और पुन:स्थानन एवं पथ विक्रेताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ‘विवाद निवारण तंत्र’ स्थापित करने संबंधी मामलों सहित अधिनियम में निर्धारित उपबंधों का अनुपालन करने हेतु परामर्शिकाएं जारी करता है।

****